

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्ता की जा सकती है ।

एकलु श्रीडकी केवल आवासीय तृतीयनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक... 810 ... दिनांक 22/01/2024
 प्राधीनता शंकर सिंह 3/0 की भौतिक स्थल
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8329 - प्रभा
 जरिये रसीद संख्या 9069/801/842
 दिनांक 22/01/2024 को जमा करा दी है ।

पिन आवासीय
 H.No: 60 जी.भा.वा. कोठीनी, भगत जी कोठी

22/01/2024

सहायक नगर नियांतक
 नगर निगम, जोधपुर